

न्यायालय—श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.—138 / 2013

संस्थित दिनांक—15.02.2013

फाईलिंग क्र.234503001162013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

दिनेश परते पिता छोटेला ल परते, उम्र—26 वर्ष, जाति गोंड,

निवासी—ग्राम लपटी (माना), थाना गढ़ी,

जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—06 / 05 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 354, 323 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—09.02.2013 को रात्रि करीब 10:30 बजे, आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम गढ़ी में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्यादय के पूर्व फरियादी के घर में प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन किया तथा फरियादी सीताबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर आहत सीताबाई के दाएं हाथ को मरोड़कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी सीताबाई ने पुलिस थाना गढ़ी में दिनांक—10.02.2013 को जाकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक—09.02.2013 को रात्रि में 10:30 बजे अपने घर पर सोई थी, उसी समय आरोपी दिनेश परते बाहर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। उसके कमरे में लाईट जल रही थी, तो सीताबाई ने आरोपी दिनेश से पूछा कि वह घर पर क्यों आया है तो आरोपी ने सीताबाई के दाएं हाथ को मरोड़ा, तब वह हाथ छुड़ाकर अपने घर के पीछे

के दरवाजे से भागी और पास में रहने वाली फूलवती बाई के घर जाकर बताई कि आरोपी दिनेश कोई घटना कारित करने के लिए उसके घर में घुसा है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक-05/2013, धारा-323, 457, 354 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाकर, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 354, 323 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-09.02.2013 को रात्रि करीब 10:30 बजे, आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम गढ़ी में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्यादय के पूर्व फरियादी के घर में प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सीताबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सीताबाई के दाएं हाथ को मरोड़कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5- सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6- फरियादी सीताबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को रात्रि 11:00 वह अपने घर पर सोई हुई थी, तभी आरोपी ने

उसके कमरे में आकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था, तब वह अपना हाथ छुड़ाकर पीछे के दरवाजे से भाग गई थी। जब वह फूलवती बाई को लेकर अपने घर आई थी, तब तक आरोपी भाग गया था। उसने थाना गढ़ी में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी और रिपोर्ट पर अंगूठा लगाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि आरोपी ने बुरी नियत से उसके घर में घुस कर उसका हाथ पकड़ लिया था, तब वह हाथ छुड़ाकर भाग गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी दिनेश उसके गांव का रहने वाला नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने घटना की रिपोर्ट घटना के अगले दिन सुबह 8:00 बजे कराई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पुलिस ने उसके द्वारा लेख कराई गई रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं बताया था, उसे जहां अंगूठा लगाने के लिए कहा गया था, वहां उसने अंगूठा लगाई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि घटना के समय बल्ब नहीं जल रहा था। इससे यह आशय निकाला जा सकता है कि घटना के समय अंधेरा था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नियत से हाथ नहीं मरोड़ा था।

7— घटना के विषय में साक्षी फूलवतीबाई (अ.सा.3) ने कहा है कि घटना उसके बयान देने के 3 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को आरोपी दिनेश परते फरियादी सीताबाई के घर में दरवाजा तोड़कर घुस गया था। फरियादी दौड़कर उसके घर आई थी और उसको बताया था कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी उसके गांव का रहने वाला नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि स्वयं उसने आरोपी को फरियादी के घर आते-जाते नहीं देखा था। जैसा उसे फरियादी सीताबाई ने बताया था, वैसा ही विवरण उसने पुलिस को बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि फरियादी के घर में घटना के समय लाइट नहीं थी।

8— हेमलता (अ.सा.4) ने कहा है कि वह आहत सीताबाई को जानती है। आरोपी को नहीं जानती। घटना उसके बयान देने से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की है। फरियादी सीताबाई सुबह 8-9 बजे उसके घर के सामने रो रही थी। जब उसने पूछा तो फरियादी ने बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित

कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी सीताबाई ने उसे बताया था कि आरोपी रात को उसके घर में घुसा था।

9— यशवंतसिंह (अ.सा.5) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी दिनेश तथा फरियादी सीताबाई को पहचानता है। घटना उसके बयान देने के लगभग दो वर्ष पूर्व की है वह अपने घर पर सो रहा था, तभी आरोपी दिनेश रात्रि 11:00 बजे हेमलताबाई के घर जाकर दरवाजा खटखटा रहा था। आरोपी ने उसके घर आकर पानी मांगा और पीकर चला गया। फिर दूसरे दिन फरियादी सीताबाई ने उसको बताया था कि आरोपी दिनेश परते उसके घर में घुसा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः स्वीकार किया कि आरोपी दिनेश परते पानी पीकर उसके घर से चला गया था, कहा गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

10— खेमराज राणा (अ.सा.6) ने वह दिनांक—11.02.2013 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ही अपराध क्रमांक—05/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा धारा—323, 354, 457 भा.द.वि. के अंतर्गत श्रीमती सीताबाई यादव की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं प्रार्थी सीताबाई के अंगूठा निशान लिया था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी सीताबाई के बयान लेखबद्ध किया था एवं दिनांक—10.02.2013 को फूलवतीबाई के बयान लेखबद्ध किया था। दिनांक—11.02.2013 को आरोपी दिनेश परते को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—3 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी दिनेश परते के हस्ताक्षर हैं। वह उपनिरीक्षक आशीष राजपूत को जानता जिनके साथ उसने कार्य किया है, इसलिए उनके हस्ताक्षर से परिचित है। उनके द्वारा प्रथम सूचना पत्र तथा साक्षी यशवंत सिंह और हेमलता के कथन लेख किये गए हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने स्वयं लेख नहीं की। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने घटनास्थल का मौकानक्शा नहीं बनाया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख कर लिया था।

11— उपरोक्त अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी दिनेश परते सीताबाई के घर में कोई घटना कारित करने के उद्देश्य से दिनांक—09.02.2013 को रात्रि में घुसा था और आरोपी ने जब फरियादी को हाथ मरोड़ा था तो वह घर से भागकर फूलवतीबाई के घर गई और से घटना के विषय में उसे बताया था। साक्षी ने घटना के समय फरियादी सीताबाई (अ.सा.2) को घटना का समय 11:00 बजे बताया है और प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसके घर में लाईट नहीं थी तब रात्रि 11:00 बजे अंधेरे में आरोपी को पहचान लेना संदेहास्पद हो जाता है। यदि साक्षी फूलवतीबाई (अ.सा.3) के कथनों में विचार किया जाए तो आरोपी दिनेश फरियादी सीताबाई के घर में घुसा तो वह भागकर उसके घर गई थी। उपरोक्त प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं आरोपी को फरियादी के घर के अंदर घुसते हुए या आते-जाते नहीं देखा। उसे जैसा फरियादी ने बताया वैसा स्वयं उसने बताया। यह साक्षी अनुश्रुत श्रेणी का साक्षी है, इसलिए उसकी साक्ष्य पर बल नहीं दिया जा सकता। प्रकरण में एक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी यशवंतसिंह (अ.सा.5) ने अपने परीक्षण में बताया कि घटना दिनांक को आरोपी रात्रि 11:00 बजे फरियादी सीताबाई का दरवाजा खटखटा रहा था और आरोपी ने उससे पानी मांग कर पिया और चला गया। यदि उपरोक्त साक्षी के न्यायालयीन परीक्षण पर विचार किया जाए तो उसके न्यायालयीन परीक्षण में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी घटना कारित करने के लिए फरियादी सीताबाई के घर घुसा था, जबकि सीताबाई कहना है कि आरोपी बुरी नियत से उसके घर में घुसा था। वस्तुतः देखा जाए तो फरियादी के अतिरिक्त किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह नहीं कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी फरियादी सीताबाई के घर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार करते देखा हो। अतएव भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457 के अनुसार प्रच्छन्न अतिचार कारित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त सभी साक्षियों का कहना है कि आरोपी दरवाजा खोलकर घर में घुसा था, जबकि साक्षी यशवंत (अ.सा.5) का कहना है कि फरियादी के घर दरवाजा खटखटाकर गया था। साक्षी हेमलताबाई (अ.सा.4) का कहना है कि फरियादी सीताबाई उसके घर के आसपास रहती थी और उसने बताया

कि उसके घर में चोरी हो गई है।

12— डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.1) का कहना है कि वह दिनांक—10.12.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी के आरक्षक कमलेश कर्मांक—359 द्वारा आहत श्रीमती सीताबाई को परीक्षण हेतु लाया गया, जिसमें उसने आहत के दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर पर दर्द होना बताया था। अभिमत में साक्षी ने बताया है कि आहत को कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों पर विचार किया जाए तो उसने कहा है कि आहत के दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर पर दर्द होना आहत ने बताया था, जबकि किसी भी बाहरी चोट के निशान उसने अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट में नहीं बताया था।

13— फरियादी सीताबाई ने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि आरोपी ने उसका हाथ मरोड़ा था और गला भी नोंच दिया था। यह बात चिकित्सीय साक्षी द्वारा यदि दी गई रिपोर्ट में स्पष्टतः प्रकट नहीं हो रही है। उपरोक्त समस्त आधारों पर आरोपी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 354, 323 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

14— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्यादय के पूर्व फरियादी के घर में प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन किया तथा फरियादी सीताबाई जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर आहत सीताबाई के दाएं हाथ को मरोड़कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपी दिनेश परते को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 354, 323 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

16— प्रकरण में आरोपी दिनांक—11.02.2013 से दिनांक—13.02.2013 तक, दिनांक—16.02.2015 से दिनांक—20.03.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर,
दिनांक—06.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)